

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹. 5000

Rs. 5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

स्थान RAJASTHAN



यह विक्रय पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर सन् 2010 ईस्वी. को

श्रीमती मधू आयु लगभग 42 वर्ष धर्मपत्नी श्री मुकेश कुमार, जाति गुर्जर,
सब रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचम

अधु

Bhram



निवासी जोधुला, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर हालत चिवासी प्लाट नम्बर 1-सी-81, गुर्जर बस्ती, शास्त्री नगर, जयपुर दिक्कती जिसे इस विक्रय पत्र में आगे चलकर शब्द प्रथमपक्ष के नाम से सम्बोधित किया गया है की ओर से

बहक

नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति नवरंगपुरा जरिये सचिव भीम सहन गुर्जर आयु लगभग 34 वर्ष पुत्र श्री ओमकार गुर्जर, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम सेक्टर, तेवडी, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर केता जिसे इस विक्रय पत्र में आगे चलकर शब्द द्वितीयपक्ष से सम्बोधित किया गया है के हक में लिखा गया है, जिसकी शर्तों से दोनों पक्ष व दोनों पक्षों के विधिक उत्तराधिकारी, प्राकृतिक वंशज, वारिसान, स्थानापन्न, प्रतिनिधि, एजेन्ट इत्यादि भी पूर्ण रूप से पाबन्द है व रहेंगे।

जो कि वाके ग्राम मैड, पटवार क्षेत्र मैड, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मैड, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर के खाता संख्या नया 961 पुराना 874 की आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2324 रकबा 0.12 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 2325 रकबा 0.13 हैक्टैयर कुल किता दो कुल रकबा 0.25 हैक्टैयर स्थित है। उक्त वर्णित आराजी की कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज प्रथमपक्ष के नाम से दर्ज व अंकित है। इस प्रकार उक्त वर्णित कृषि भूमि की बिना किसी अन्य व्यक्ति के व सीर व सांझे के एकमात्र मालिक, स्वामी, अधिकारी एवं काबिज, काश्तकार, खातेदार है, उक्त कृषि भूमि को प्रथमपक्ष ने आज तक किसी भी अन्य व्यक्ति को रहन, विक्रय व हस्तान्तरित आदि जहाँ किया है, उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रथमपक्ष की ओर के प्रत्येक प्रकार के झगड़े, टण्टे, ऋण भार, वाद विवाद इत्यादि से मुक्त है तथा किसी भी कर्जा, कुर्की, डिकी व अनुबन्ध पत्र द्वारा भी बंधित नहीं है, तथा उक्त कृषि भूमि के बाबत किसी भी अन्य व्यक्ति के हित में कोई भी दस्तावेज तहसीर नहीं किया है, एवं प्रथमपक्ष को उक्त कृषि भूमि को प्रत्येक प्रकार से अपने

सदर रजिस्ट्रार,
पंचम



काम में लेने व रहन, विक्रय व हस्तान्तरित अधिकार करने के संपूर्ण स्वत्वाधिकार मालिकाना हक प्राप्त है।

जो कि प्रथमपक्ष को अपनी निजी व पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये रूपयों की आवश्यकता है इसलिये प्रथमपक्ष ने वाके ग्राम मैड, पटवार क्षेत्र मैड, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मैड, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर के खाता संख्या नया 961 पुराना 874 की आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2324 रकबा 0.12 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 2325 रकबा 0.13 हैक्टैयर कुल कित्ता दो कुल रकबा 0.25 हैक्टैयर को संपूर्ण स्वत्वो व अधिकारो सहित, मय, बोल, सोल, पानी, पुला, मेड डोल वृक्षादि सहित के मुबलिया 2,61,000/- रूपये अक्षरे दो लाख इकसठ हजार रूपये की एवज में द्वितीयपक्ष नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति नवरंगपुरा जसिये सचिव भीम सहन गुर्जर आयु लगभग 34 वर्ष पुत्र श्री ओमकार गुर्जर, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम सेवरा, तेदडी, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर केता को कतई विक्रय कर दी है।

यह कि खर्चा विक्रय पत्र का प्रत्येक प्रकार द्वितीयपक्ष के जिम्मे तय पाया गया है, तथा द्वितीयपक्ष ने ही अलावा विक्रय मूल्यघन के अपने पास से वहन किया है।

यह कि मूल्यघन की राशि के 2,61,000/- रूपये अक्षरे दो लाख इकसठ हजार प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से नगद प्राप्त कर लिये है, जिसकी प्राप्ति प्रथमपक्ष इस विक्रय पत्र में स्वीकार करती है, अब प्रथमपक्ष को द्वितीयपक्ष से उक्त आराजी की कृषि भूमि के विक्रय मूल्य के पेटे कुछ भी लक्ष नहीं रहा है, तथा ना ही भविष्य में रहेगा, तथा विक्रय की गई कृषि भूमि का कब्जा मौके पर खाली शुदा का द्वितीयपक्ष को संमला दिया है।

जयपुर
रजिस्ट्रार,
पंचम

यह कि विक्रय की गई उपरोक्त कृषि भूमि के बाबत जो-जो अधिकार प्रथमपक्ष को प्राप्त थे वे समस्त मालिकाना अधिकार अब द्वितीयपक्ष को प्राप्त हो गये है व रहेंगे, अब द्वितीयपक्ष विक्रय की गई कृषि भूमि को




जिस तरह से भी चाहे अपने उपयोग एवं उपयोग में लेवे स्वयं काश्त करे, किसी अन्य से काश्त करावे, उपरोक्त भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए भूमि को समतल करावे, चाह का निर्माण करावाये, मोटर पम्पिंग सेट लगाकर विद्युत कनेक्शन अपने नाम से प्राप्त करे, किसये पर देवे, किस्म परिवर्तन करावे, उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि को संपूर्ण को एवं खण्डों में विभाजित कर विक्रय करे, हर प्रकार से फायदा उठावे, तथा किसी भी व्यक्ति को रहन, विक्रय, बख्शीश इत्यादि द्वारा हस्तान्तरित करे, उक्त विक्रय की गई कृषि भूमि को विक्रय करने का इकरारनामा तहरीर करे, एडवांस रूपया प्राप्त करे, विक्रय पत्र निष्पादित करावे, चुकती राशि प्राप्त करे, कंटा को कब्जा संभलावे, इसमें प्रथमपक्ष को व उनके उत्तराधिकारियों, वारिसानों, स्थानापन्नो, प्रतिनिधियों को किसी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

यह कि उक्त विक्रय की गई उपरोक्त कृषि भूमि पर अब प्रथमपक्ष एवं उनके किसी भी वारिसान, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, एजेन्ट, सदस्य आदि का किसी प्रकार का कोई हक व संबंध नहीं रहा है एवं ना ही भविष्य में रहेगा।

यह कि विक्रय की गई उपरोक्त कृषि भूमि के बाबत आज से पूर्व का कोई झगड़ा-टप्टा, वाद-विवाद, सरकारी गैर सरकारी आदि का किसी प्रकार का कोई ऋण भार आदि पाया जाता है तथा उक्त बेचान के विरुद्ध कोई व्यक्ति किसी प्रकार की आपत्ति या आक्षेप करता है तो उन समस्त को निपटाने व चुकाने की जिम्मेदारी प्रथमपक्ष स्वयं की होगी तथा आज के पश्चात् की समस्त जिम्मेदारी द्वितीयपक्ष की होगी।

यह कि उक्त विक्रय की गई उपरोक्त कृषि भूमि के बाबत अब द्वितीयपक्ष को अधिकार है वह इस विक्रय पत्र के आधार पर समस्त सरकारी विभागों एवं राजस्व रिकार्ड में प्रथमपक्ष के नाम के स्थान पर अपना नाम अंकित करा लेवे, इसमें प्रथमपक्ष के हस्ताक्षरों, गवाहों, बयानों या स्वयं के उपस्थित होने की आवश्यकता द्वितीयपक्ष को होगी तो प्रथमपक्ष

रजिस्ट्रार,
पंचम



द्वितीयपक्ष का पूर्ण लिखित एवं मौखिक सहयोग करने के लिये बाध्य है व रहेगी।

यह कि उक्त विक्रय की गई उपरोक्त कृषि भूमि या इसका कोई हिस्सा व अंश प्रथमपक्ष के स्वामित्व व अधिकार की त्रुटि के कारण द्वितीयपक्ष के कब्जे व अधिकार से निकल जाता है या द्वितीयपक्ष को प्रथमपक्ष की ओर से कोई ऋण भार, सरकारी, अर्द्ध सरकारी, लगान, बैंक व जनसाधारण के वहन करने पड़ते है तो ऐसी संपूर्ण हानि व व्यय को द्वितीयपक्ष को प्रथमपक्ष से व प्रथमपक्ष की अन्य चल व अचल संपत्ति से एक मुश्त वसूल करने का अधिकार होगा जिसमें प्रथमपक्ष व प्रथमपक्ष के वारिसान, उत्तराधिकारी आदि को आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

यह कि विक्रय की गई उपरोक्त कृषि भूमि वर्तमान में किसी भी सरकारी विभाग, उपक्रम द्वारा अवाप्ति में नहीं है, यदि भविष्य में उपरोक्त वर्णित आराजी कृषि भूमि राज्य सरकार, भारत सरकार द्वारा अवाप्त कर ली जाती है, तो उसकी एवज में मिलने वाली विकसित भूमि अथवा मुआवजे की राशि से प्रथमपक्ष व उनके कानूनी उत्तराधिकारियों, वारिसानों, स्थानापन्नों, प्रतिनिधियों, एजेन्ट, सदस्य आदि का कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं रहेगा, उपरोक्त विकसित भूमि अथवा मुआवजे की राशि इस विक्रय पत्र की अनुपालना में द्वितीयपक्ष को प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

सह. रजिस्ट्रार,
पंचम

यह कि वाके ग्राम मैड, पटवार क्षेत्र मैड, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मैड, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर के खाता संख्या नया 961 पुराना 874 की आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2324 रकबा 0.12 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 2325 रकबा 0.13 हैक्टैयर कुल कित्ता दो कुल रकबा 0.25 हैक्टैयर संपूर्ण का विक्रय किया गया है तथा उक्त विक्रय की गई कृषि भूमि ग्राम की सम्पर्क सड़क से 500 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है इस कारण विक्रय की गई कृषि भूमि की मार्केट वेल्यू विक्रय मूल्य से कतई अधिक की नहीं है।

(राज.)
R, JAIPUR-V (राज.)



6

यह कि उक्त विक्रय पत्र की तमाम शर्तों से प्रथमपक्ष व प्रथमपक्ष के वारिसान, विधिक उत्तराधिकारी, प्राकृतिक वंशज प्रतिनिधि, एजेन्ट, सदस्य आदि सभी पाबन्द रहेंगे किसी को किसी भी शर्त का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं होगा।

अतः यह विक्रय पत्र दोनों पक्षों ने अपनी होश हवाश की अवस्था में बिना किसी प्रकार के दबाव में आये रखी खुशी से 5000/- रुपये के एक मुद्रा पत्र व पाँच किता पेपर्स पर टाईप करवाकर कर अच्छी तरह पढ, सुन व समझकर अपने हस्ताक्षर सम्बन्ध निम्न गवाहान के कर दिये है ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवे। इति दिनांक 31 दिसम्बर 2010 ईस्वी।

हस्ताक्षर विक्रेती प्रथमपक्ष :- मधु

हस्ताक्षर क्रेता द्वितीयपक्ष :-

Bheem

स. रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचम गवाह :-

माना रामगुर्जर डी. श्री अर्जुन लाल
जोब शेषरा तह विरारनगर जयपुर (राज.)

गवाह- अशोक

अशोक चन्द श्री डी. श्री अर्जुन लाल
जोब शेषरा तह विरारनगर जयपुर (राज.)

Stamps and Registration Department
OFFICE OF SUB REGISTRAR SR - V
JAIPUR

(Rule 75 & 131)

FEE RECEIPT

Fee Receipt No	2010397031096	Date	31/12/2010
Presenter Name	SMT. MADHU	Document S. No	2010397030032
Presenter/Property Address	JODHPUR TOLA VINDYANAGAR, DIST. JAIPUR/A/P 1-C-81 GURJAR BASTI SHASTRI		
Document Type	Sale Deed (Compliance deed)		
Claimant Name	SHREEM SIFAN GURJAR		
Face Value	261000	Evaluated Value	262500
		Payment Mode	Cash
		Stamp Value	5000



Ord- registration fee
csl_more_50000
stamp(memorandum)
Penalty
stamp duty
25_34
64_67

commission	0
custody	0
reg(memorandum)	0
us_57	0
us_62	0
others	0
Inspection_fee	0
Total :	0

Eleven Thousand Sixty Only

सब रजिस्ट्रार, जयपुर
Sub Registrar JAIPUR-V



राजस्थान RAJASTHAN

K 353085



विक्रय-पत्र

यह विक्रय-पत्र आज दिनांक 20/12/2021 इस्वी को भीमसहन आयु 44 वर्ष पुत्र श्री ओमकार, जाति-गुर्जर, निवासी-सेवरा, तहसील-विराटनगर, जिला-जयपुर, (राज.) को इस विक्रय-पत्र में विक्रेता प्रथमपक्ष कहा गया है। (इस विक्रय-पत्र में इसके प्रतिनिधी, सहभागी, स्थानापन्न, असाईनीज, उत्तराधिकारी व वादिसान इत्यादि सम्मिलित समझे जावेगे।



 लगातार 2

सचिव

नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति
नवरंगपुरा (जयपुर) राजे


हप पंजीयक



स्वीकार करता है तथा प्रथमपक्ष विक्रेता ने उक्त आराजी का भौतिक कब्जा आज ही मौके पर जाकर सम्मला दिया है।

2. यह कि प्रथमपक्ष विक्रेता का कोई उत्तराधिकारी, स्थानापन्न अथवा प्रतिनिधि इस विक्रय-पत्र के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति उठाये या आज से पहले का कोई बकाया किसी भी किस्म का उक्त विक्रित आराजी के जिम्मे होगा, तो उन सब का निपटारा व चुकारा प्रथमपक्ष विक्रेता स्वयं अपने खर्चे से करेगा। इस विक्रय पत्र का समस्त खर्चा द्वितीयपक्ष क्रेता द्वारा वहन किया गया है।
3. यह है कि द्वितीयपक्ष क्रेता उक्त विक्रित आराजी के समस्त सरकारी राजस्व रिकार्ड में प्रथमपक्ष विक्रेता बजाय अपना द्वितीयपक्ष क्रेता का नामान्तकरण दर्ज करवा सकेगा। यदि इस सम्बन्ध में प्रथमपक्ष विक्रेता के बयानात व शहादत की लिखित व मौखिक आवश्यकता पड़ेगी तो प्रथमपक्ष विक्रेता पूर्ण सहयोग देगा। द्वितीयपक्ष क्रेता उक्त विक्रित आराजी का हर प्रकार से उपयोग व उपभोग कर सकेगा। द्वितीयपक्ष क्रेता उक्त वर्णित भूमि का नामान्तकरण अपने नाम से खुलवाकर किसी को भी विक्रय, रहन, बख्शीश व हस्तांतरित कर सकेगा।
4. यह है कि प्रथमपक्ष विक्रेता के स्वामित्व हकूक की त्रुटि की वजह से उक्त विक्रित आराजी का सम्पूर्ण अथवा कोई अंश उक्त द्वितीयपक्ष क्रेता के अधिकार तथा कब्जे से निकल जायेगा तो उक्त द्वितीयपक्ष क्रेता को अधिकार होगा कि वह उक्त विक्रित आराजी के ऐसे समय की बाजारु कीमत की समस्त राशि को प्रथमपक्ष विक्रेता तथा प्रथमपक्ष विक्रेता की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे एक मुश्त वसूल कर लें।

[Signature]

सचिव

[Signature]

एग्जीमेन्ट या संविदा कर कोई रसीद आदि लिखे नहीं है।
 आराजी हर प्रकार से पाक साफ है। प्रथमपक्ष विक्रेता को उक्त
 को हर तरह से अपने काम में लेने व इसको हर प्रकार से हस्ता
 बेचान करने के सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार प्राप्त है।

यह कि प्रथमपक्ष विक्रेता को अपने पारिवारिक व निजी आवश्यकता
 हेतु रूपयों की आवश्यकता है इसलिये प्रथमपक्ष विक्रेता ने अपनी
 मैड, में स्थित कृषि भूमि जिसका विवरण सारणि के अनुसार निम्नप्रकार
 से है:-

सारिणी-1

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
722	2329	0.14 हैक्टेयर	बंजड डोल

उपरोक्त सारिणी के अनुसार कुल किता-1, खसरेनम्बरान का कुल
 रकबा 0.14 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि की कृषि भूमि को मय पूला, पानी, मेढ,
 बोल, सोल इत्यादि सहित इसमें बिना रखे किसी हक व अंश के सम्पूर्ण
 हक हकूको सहित को मुबलिंग रुपये 1,00,000/- अकेंही एक लाख
 रुपये के बदले में द्वितीयपक्ष क्रेता के हित में कतई विक्रय कर दिया है।

1. यह कि प्रथमपक्ष विक्रेता ने उक्त आराजी की तयशुदा विक्रय
 प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि जरिये BOB Bank बैंक शाखा-शाहपुरा,
 जयपुर के चैक नम्बर 000103 के द्वारा प्राप्त कर ली है। अब उक्त
 आराजी के पेटे कोई राशि लेना शेष नहीं है। इस प्रकार से प्रथमपक्ष
 विक्रेता ने उक्त द्वितीयपक्ष क्रेता से उक्त आराजी की तयशुदा राशि
 आज यह विक्रय-पत्र निष्पादित करवाते समय बतौर निम्न
 हस्ताक्षरकर्ता/साक्षीगणों के समक्ष प्राप्त करना प्रथमपक्ष विक्रेता

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
 सचिव

[Official Stamp]



बहक

नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति मैड, जरिये सचिव श्री भीमसहन आयु 44 वर्ष पुत्र श्री ओमकार, जाति-गुर्जर, निवासी-सेवरा, तहसील-विराटनगर, जिला-जयपुर, (राज.) को इस विक्रय-पत्र में क्रेता द्वितीयपक्ष कहा गया है। (इस विक्रय-पत्र में इसके प्रतिनिधी, सहभागी, स्थानापन्न, असाईनीज, उत्तराधिकारी व वारिसान इत्यादि सम्मिलित समझे जावेगे। जिनके मध्य में उक्त विक्रय-पत्र निम्नप्रकार से लेखबद्ध किया गया है।

जो कि प्रथमपक्ष की ग्राम-मैड, पटवार हल्का-मैड, तहसील-विराटनगर, जिला-जयपुर (राज.) में खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है, जिसका विवरण सारिणियों के अनुसार निम्नप्रकार से है:-

सारिणी-1

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
722	2329	0.14 हैक्टेयर	बंजड डोल

उपरोक्त सारिणी के अनुसार कुल किता-1, खसरेनम्बरान का कुल रकबा 0.14 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि का प्रथमपक्ष मालिक व स्वामी है। खातेदारी रिकार्ड के मुताबिक व राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रथमपक्ष विक्रेता के नाम से दर्ज व अकिंत है। उक्त सम्पूर्ण आराजी प्रथमपक्ष विक्रेता के नाम अधिकार व कब्जे कास्त में है। किसी अन्य का इसमें किसी प्रकार का कोई हक व सम्बन्ध नहीं है। उक्त उल्लेखित आराजी आज तक समस्त प्रकार के झगडे, टन्टो से, वाद-विवादो से तथा सरकारी गैर सरकारी बैंक एवं जनसाधारण के ऋण एवं कर भार से सर्वथा मुक्त है। प्रथमपक्ष विक्रेता ने उक्त आराजी को आज से पूर्व किसी के हित में रहन विक्रय, बख्शियत, जमानत, कुर्की, डिक्री, पूण्य वसीयत आदि से बन्धित अथवा हस्तान्तरित नहीं कर रखी है तथा ना ही कोई

Meas

Meas

5. यह है कि उक्त वर्णित आराजी मौके पर सिंचित है। यह आराजी सडक से एक किलोमीटर दूर है। इसके आसपास कोई सरकारी कार्यालय व गैर सरकारी कार्यालय व्यावसायिक व आधौगिक प्रतिष्ठान नहीं है।

अतः यह विक्रय पत्र प्रथमपक्ष विक्रेता ने द्वितियपक्ष क्रेता के हित में अपनी स्थिर बुद्धि एवं स्वस्थ इन्द्रिय की दशा में स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव व बिना किसी नशे पत्ते के 1,000/- रुपये के मुद्रांक व चार पेपर किता-5, पर निम्न साक्षीगण के समक्ष भली प्रकार से पढ-सुन व समझ कर हस्ताक्षरित लिपिबद्धकरा दिया है, ताकि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। दिनांक - 20/12/2021

हस्ताक्षर साक्षीगण :-

1. कृष्ण कुमार गुर्जर पुत्र श्री पालाराम गुर्जर



निवासी-सेवरा, तहसील-विराटनगर

आयु 34 वर्ष, पेशा-नीजी

2. रामलीलाल गुर्जर पुत्र श्री मेकराम गुर्जर

निवासी-तेवडी, तहसील-विराटनगर

आयु 45 वर्ष, पेशा-नीजी



हस्ताक्षर प्रथमपक्ष विक्रेता

हस्ताक्षर द्वितियपक्ष क्रेता

सचिव
नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति
नवरंगपुरा (जयपुर) राज

रामजी लाल
वडातील विराटनगर (जयपुर)

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : VIRATNAGER

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule-75 & 131)

Print Date: 20-12-2021 3:09 PM

Fee Receipt No	: 202102421002772	Receipt Date	: 20/12/2021
Name	: NAVRANG PUBLIC SCHOOL SHIKSHA SAMITI MAID JARYA SACHIV BHEMISHAN GUJRJAR,	Document S. No.	: 202101421002748
Address	: 0 MAID VIRATNAGAR JAIPUR		
Document Type	: Sale Deed		
Face Value	: ₹ 100000	Evaluated Value	: ₹ 189303
Old-Registration Fee	: ₹ 1894	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 300	Certified copying Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (Memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 3408	Stamp Duty	: ₹ 11360
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 18962
		Total Amount	: ₹ 18962

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

1-Cash Challan 5662020 ₹ 15620 # Stamp N.A. ₹ 1300

Signature of presenter or applicant for copy of Search certificate

Signature of recipient and date of this receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

वडातील विराटनगर (जसपुर)

MO No
20677
20-12-2021



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

INDIA

08 DEC 2021
राजस्थान RAJASTHAN

K 353087



विक्रय-पत्र

यह विक्रय-पत्र आज दिनांक 20/12/2021 इस्वी को नारायणी देवी आयु 72 वर्ष पत्नि स्व. श्री सुरजमल, जाति-गुर्जर, निवासी-जोधूला, तहसील-विराटनगर, जिला-जयपुर, (राज.) को इस विक्रय-पत्र में विक्रेता प्रथमपक्ष कहा गया है। (इस विक्रय-पत्र में इसके प्रतिनिधी, सहभागी, स्थानापन्न, असाईनीज, उत्तराधिकारी व वारिसान इत्यादि सम्मिलित समझे जावेगे।

इस विक्रय-पत्र में

सचिव

लगातार 2

सर्वम पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति
नंदरगपुरा (जयपुर) राज

उपाध्यक्ष
तहसील विराटनगर (जयपुर)



बहक

नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति मैड, जरिये सचिव श्री भीमसहन आयु 44 वर्ष पुत्र श्री ओमकार, जाति-गुर्जर, निवासी-सेवरा, तहसील-विराटनगर, जिला-जयपुर, (राज.) को इस विक्रय-पत्र में क्रेता द्वितीयपक्ष कहा गया है। (इस विक्रय-पत्र में इसके प्रतिनिधी, सहभागी, स्थानापन्न, असाईनीज, उत्तराधिकारी व वारिसान इत्यादि सम्मिलित समझे जावेगे। जिनके मध्य में उक्त विक्रय-पत्र निम्नप्रकार से लेखबद्ध किया गया है।

जो कि प्रथमपक्ष की ग्राम-मैड, पटवार हल्का-मैड, तहसील-विराटनगर, जिला-जयपुर (राज.) में खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है, जिसका विवरण सारिणयो के अनुसार निम्नप्रकार से है:-

सारिणी-1

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
449	2330	0.18 हैक्टेयर	चाही 2

उपरोक्त सारिणी के अनुसार कुल किता-1, खसरेनम्बरान का कुल रकबा 0.18 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि का प्रथमपक्ष मालिक व स्वामी है। खातेदारी रिकार्ड के मुताबिक व राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रथमपक्ष विक्रेता के नाम से दर्ज व अकिंत है। उक्त सम्पूर्ण आराजी प्रथमपक्ष विक्रेता के नाम अधिकार व कब्जे कास्त में है। किसी अन्य का इसमें किसी प्रकार का कोई हक व सम्बन्ध नहीं है। उक्त उल्लेखित आराजी आज तक समस्त प्रकार के झगडे, टन्टो से, वाद-विवादो से तथा सरकारी गैर सरकारी बैंक एवं जनसाधारण के ऋण एवं कर भार से सर्वथा मुक्त है। प्रथमपक्ष विक्रेता ने उक्त आराजी को आज से पूर्व किसी के हित में रहन विक्रय, बख्शायत, जमानत, कुर्को, डिक्री, पूण्य वसीयत आदि से बन्धित अथवा हस्तान्तरित नहीं कर रखी है तथा ना ही कोई

आराजी देवी

सचिव

एग्रीमेन्ट या संविदा कर कोई रसीद आदि लिख रखी है, अर्थात् उक्त आराजी हर प्रकार से पाक साफ है। प्रथमपक्ष विक्रेता को उक्त आराजी को हर तरह से अपने काम में लेने व इसको हर प्रकार से हस्तान्तरित व बेचान करने के सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार प्राप्त है।

यह कि प्रथमपक्ष विक्रेता को अपने पारिवारिक व निजी आवश्यकता हेतु रूपयों की आवश्यकता है इसलिये प्रथमपक्ष विक्रेता ने अपनी ग्राम-मैड, में स्थित कृषि भूमि जिसका विवरण सारणि के अनुसार निम्नप्रकार से है:-

सारिणी-1

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
449	2330	0.18 हैक्टेयर	चाही 2

उपरोक्त सारिणी के अनुसार कुल किता-1, खसरेनम्बरान का कुल रकबा 0.18 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि की कृषि भूमि को मय पूला, पानी, मेढ, बोल, सोल इत्यादि सहित इसमें बिना रखे किसी हक व अंश के सम्पूर्ण हक हकूको सहित को मुबलिंग रुपये 1,00,000/- अर्केही एक लाख रुपये के बदले में द्वितीयपक्ष क्रेता के हित में कतई विक्रय कर दिया है।

1. यह कि प्रथमपक्ष विक्रेता ने उक्त आराजी की तयशुदा विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि जरिये BOB Bank बैंक शाखा-शाहपुरा, जयपुर के चैक नम्बर 000104 के द्वारा प्राप्त कर ली है। अब उक्त आराजी के पेटे कोई राशि लेना शेष नहीं है। इस प्रकार से प्रथमपक्ष विक्रेता ने उक्त द्वितीयपक्ष क्रेता से उक्त आराजी की तयशुदा राशि आज यह विक्रय-पत्र निष्पादित करवाते समय बतौर निम्न हस्ताक्षरकर्ता/साक्षीगणों के समक्ष प्राप्त करना प्रथमपक्ष विक्रेता

1/2/2020

उप-जयपुर
महानगर निगम जयपुर

[Signature]

स्वीकार करता है तथा प्रथमपक्ष विक्रेता ने उक्त आराजी को मौखिक कब्जा आज ही मौके पर जाकर सम्मला दिया है।

2. यह कि प्रथमपक्ष विक्रेता का कोई उत्तराधिकारी, स्थानापन्न अथवा प्रतिनिधि इस विक्रय-पत्र के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति उठाये या आज से पहले का कोई बकाया किसी भी किस्म का उक्त विक्रित आराजी के जिम्मे होगा, तो उन सब का निपटारा व चुकारा प्रथमपक्ष विक्रेता स्वयं अपने खर्चे से करेगा। इस विक्रय पत्र का समस्त खर्चा द्वितीयपक्ष क्रेता द्वारा वहन किया गया है।
3. यह है कि द्वितीयपक्ष क्रेता उक्त विक्रित आराजी के समस्त सरकारी राजस्व रिकार्ड में प्रथमपक्ष विक्रेता बजाय अपना द्वितीयपक्ष क्रेता का नामान्तकरण दर्ज करवा सकेगा। यदि इस सम्बन्ध में प्रथमपक्ष विक्रेता के बयानात व शहादत की लिखित व मौखिक आवश्यकता पड़ेगी तो प्रथमपक्ष विक्रेता पूर्ण सहयोग देगा। द्वितीयपक्ष क्रेता उक्त विक्रित आराजी का हर प्रकार से उपयोग व उपभोग कर सकेगा। द्वितीयपक्ष क्रेता उक्त वर्णित भूमि का नामान्तकरण अपने नाम से खुलवाकर किसी को भी विक्रय, रहन, बख्शीश व हस्तांतरित कर सकेगा।
4. यह है कि प्रथमपक्ष विक्रेता के स्वामित्व हकूक की त्रुटि की वजह से उक्त विक्रित आराजी का सम्पूर्ण अथवा कोई अंश उक्त द्वितीयपक्ष क्रेता के अधिकार तथा कब्जे से निकल जायेगा तो उक्त द्वितीयपक्ष क्रेता को अधिकार होगा कि वह उक्त विक्रित आराजी के ऐसे सम की बाजारु कीमत की समस्त राशि को प्रथमपक्ष विक्रेता तथा प्रथमपक्ष विक्रेता की अन्य चल व अचल सम्पति से जिस प्रकार एक मुश्त वसूल कर लेवे।

सचिव
 जयपुर पंचायत मुख्यालय
 जयपुर (जयपुर) राज.



5. यह है कि उक्त वर्णित आराजी मौके पर विधित है। यह आराजी सडक से एक किलोमीटर दूर है। इसके आसपास कोई सरकारी कार्यालय व गैर सरकारी कार्यालय व्यावसायिक व आधौगिक प्रतिष्ठान नहीं है।

अतः यह विक्रय पत्र प्रथमपक्ष विक्रेता ने द्वितियपक्ष क्रेता के हित में अपनी स्थिर बुद्धि एवं स्वस्थ इन्द्रिय की दशा में स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव व बिना किसी नशे पत्ते के 1,000/- रुपये के मुद्रांक व चार पेपर किता-5, पर निम्न साक्षीगण के समक्ष भली प्रकार से पढ-सुन व समझ कर हस्ताक्षरित लिपिबद्धकरा दिया है, ताकि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। दिनांक - 20/12/2021

हस्ताक्षर साक्षीगण :- 

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष विक्रेता

1. कृष्ण कुमार गुर्जर पुत्र श्री पालाराम गुर्जर
निवासी-सेवरा, तहसील-विराटनगर
आयु 34 वर्ष, पेशा-नीजी





2. रामलीलाल गुर्जर पुत्र श्री मैरुराम गुर्जर
निवासी-तेवडी, तहसील-विराटनगर
आयु 45 वर्ष, पेशा-नीजी

हस्ताक्षर द्वितियपक्ष क्रेता


सचिव
महानगर पंचायत स्कूल शिक्षा समिति
कारगपुरा (जयपुर) राज.




सचिव

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : VIRATNAGER

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 20-12-2021 3:17 PM

Fee Receipt No	: 202102421002756	Receipt Date	: 20/12/2021
Name	: NAVRANG PUBLIC SCHOOL SHIKSHA SAMITI MAID JARYA SACHIV BHEMSHAN GURJAR,	Document E. No.	: 202101421002744
Address	: 0, VIRATNAGAR, VIRATNAGAR, JAIPUR		
Document Type	: Sale Deed	Evaluated Value	: ₹ 243389
Face Value	: ₹ 100000		
Ord-Registration Fee	: ₹ 2434	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹ 0
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹ 0	Reg (memorandum)	: ₹ 14604
Surcharge	: ₹ 4380	Stamp Duty	: ₹ 0
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹ 0	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 21718
		Other than Cash	: ₹ 21718
		Total Amount	: ₹ 21718

Mode of Payment (Mode Number Amount #)
e-Challan 56602719 # 20412 # Stamp N.A. # 1300

Signature of presenter or applicant for copy of Search certificate


Cashier

Signature of Sub-Registrar
and Date of return receipt
SUB-REGISTRAR

71.46
3257
20-12-21



(2)



राजस्थान RAJASTHAN

5363



विक्रय पत्र

मालियत राशि 1,69,000 / रूपये मात्र

मुद्रांक राशि 11,000 / रूपये मात्र

बकागज 4 दिनांक 8/12/2006 वार शुकवार

मै हनुमान आयु 45 साल पुत्र नाथा माली जाति माली निवासी मैड
तहसील विराट नगर जिला जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ।

लगातार.....

हनुमान माथ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

5363

राजस्थान RAJASTHAN

जो कि वाके ग्राम मैड पटवार हल्का मैड तहसील विराट नगर जिला जयपुर राजस्थान के खाता सं० 961 के आराजी खसरा नं० 2322/0.12 है०ए० चाही तृतीय 2323/0.12 है०ए० चाही तृतीय 2324/0.12 है०ए० चाही तृतीय 2325/0.15 है०ए० चाही तृतीय कुल किता 4 कुल रकबा 0.51 है०ए० में मेरा हिस्सा 1/2 है। जो कि मेरे स्वयं की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि सिंचित है। उक्त भूमि सम्पर्क एवं आबादी से 500 मीटर से अधिक दुरी पर स्थित है। इस भूमि के आसपास कोई सरकारी एवं गैर सरकारी या औद्योगिक ईकाई नहीं है। उक्त भूमि सभी प्रकार के आडमार व प्रतिबन्धों से पूर्णतया मुक्त है। एवं पाक व पवित्र है। जिसे हर प्रकार से उपयोग व उपभोग में लेने का एवं बेचान करने का, रहन ब अ करने का मुझे पूर्ण हक व अधिकार प्राप्त है। चकिं मुझे अपने घरेलु कार्य के लिए रूपयों की आवश्यकता है। इसलिए मैंने अपनी उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि वाके ग्राम मैड पटवार हल्का मैड तहसील विराट नगर जिला जयपुर राजस्थान के खाता सं० 961 के आराजी खसरा नं० 2322/0.12 है०ए० चाही तृतीय 2323/0.12 है०ए० चाही तृतीय 2324/0.12 है०ए० चाही तृतीय 2325/0.15 है०ए० चाही तृतीय कुल किता 4 कुल रकबा 0.51 है०ए० में मेरा हिस्सा 1/2 यानि 0.25.50 है०ए० लगातार.....

एजमानाया



राजस्थान RAJASTHAN

894252

3
 2. सम्पूर्ण को मय नीव सीव मुला प्रानी तमाम बाहरी व भीतरी मालिकाना हक हकूक सहित मुबलिक रूपये 1,69,000/अंके एक लाख चनेतर हजार रूपये में बहक नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति नवरंगपुरा जरिये सचिव भीम सहन गुर्जर तहसील विराट नगर ज़िला जयपुर राजस्थान के हित में कतई विकय कर दी है। विकित भूमि की तमाम राशि केता से नकद प्राप्त कर ली है। अब उक्त भूमि के पेटे कोई राशि शेष लेना बकाया नही रहा है। तथा आज से मैने अपना कब्जा हटाकर अपने समान कब्जा केता का करवा दिया है। अब केता को अधिकार होगा कि अपनी खरीद शुद्धा भूमि को अपने उपयोग व उपभोग में लेवे एवं अपने नाम से खातेदारी दर्ज करवाये बेचान करे, रहन ब अ करे या अन्य किसी रूप में अन्तरिम करवाये जिसमें मुझे व मेरे वारिसान को आपत्ति उठाने का कोई हक अधिकार नही होगा।

लगातार.....

एजमानमय



राजस्थान RAJASTHAN

इस वक्त मुद्रांक राशि 11,000 / रुपये किता 4 (5000+2)(500+2) पर 894
 मैंने अपनी राजी खुशी बकायसी होश हवास, बिला किसी दबाव,
 स्वच्छ चित, स्थिर बुद्धि की अवस्था में कंता के हित में लिख दिया
 है। कि सनद रहे वक्त जरूरत काम आवे। इस विक्रय पत्र की फोटो
 प्रति अपठनीय हो जाने पर जिम्मेवारी उभय पक्ष की होगी। पंजीयन
 एवं मुद्रांक विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

DIRMS
 नमोपत
 (एचबोकेट)
 निच 2 प्रथम (बयपुर)

हउ विकेता

एजमानावाट

साक्षी:-

1. महादेव पुत्र श्री बदी प्रसाद
 नि० सेवरा तह० विराट नगर *उजरी*

महादेव गुर्जर

2. महेश पुत्र श्री सुवा लाल गुर्जर
 नि० सेवरा तह० विराट नगर

महेशकुमार गुर्जर

हउ कंता

[Signature]

साचिव

नवरंग परसिद्ध स्कूल विद्यालय
 नवरंगपुरा (बयपुर)

[Signature]
 उप पंजीयक
 महोदय विराटनगर (बयपुर)

12-107

63

(3)

28691

संख्या संकीर्ण संख्या

(यह प्रति लेख-पत्र पेश करने वाले आवेदन पत्र पेश करने वाले अपने पत्र खने से)

(पत्र हुई फीस के लिए सूची)

1. पेश करने वाले का आवेदन-पत्र देने वाले का नाम *सुभाष चंद्र*
2. लेख-पत्र की क्रिया *15/11/2007*
3. विवरण की प्रकृति *...*
4. प्रतिफल की रकम *...*
- क. फीस विवरण:
 - (1) *...* *1595 -*
 - (2) लेख-पत्र की पुस्तक में प्रतिरिपि करने की फीस *100*
 - (3) धारा 64 से 67 के अनुसार प्रेषण करी करने की फीस *100 -*
- ख. धारा 57 के अनुसार प्रविष्टियों के प्रिन्ट लेखों की प्रतिरिपि देने की फीस
- ग. विविध फीस:
 - (1) साधारण अथवा विशेष अधिकार पत्र प्रमाणीकरण फीस
 - (2) धारा 62 के अनुसार अनुवाद प्रस्तुत करने की फीस
 - (3) धारा 25 से 34 के अनुसार देर से लेख-पत्र प्रस्तुत होने अथवा सम्पादनकर्ता इत्यादि के उपस्थित होने के कारण नुसर्दा हुई फीस
 - (4) कर्तव्य तथा धर पर करने की फीस तथा प्रसा
 - (5) रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री करने पर अतिरिक्त फीस
 - (6) संशोधन फीस
 - (7) मोहरबन्द लिखने (बिना कसौती पत्र रखा हो) अमानत रखने, वापिस लेने अथवा छोड़ने की फीस
 - (8) पुस्तक के निरीक्षण अथवा छात्रों की फीस
 - (9) अन्य विविध प्रकार की आय (बिना रद्दी पदकों की बिंदी इत्यादि की आय सम्मिलित है)

योग फीस *1590/-*

फीस के प्राप्त होने की तारीख *12-11-07*
लेख-पत्र या प्रतिरिपि उत्पन्न सर्टिफिकेट पाने के हस्ताक्षर और लौटाने वाले का पाने की तारीख

उप पंजीयक
रजिस्ट्रार के कार्यालय (बंगलूर)

प्ररूप - ख

(देखिये नियम 9 (3), (4) और (6))

कार्यालय विहित अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी विराटनगर)

संख्या : राजस्व/2022/1210

दिनांक : 14.06.2022

संपरिवर्तन आदेश

नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति मैड जरिये सचिव श्री भीमसहन पुत्र ओमकार जाति गुर्जर निवासी सेवरा तहसील विराटनगर जयपुर के आवेदन पत्र पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 छ के अधीन संस्थानिक शैक्षणिक प्रयोजनार्थ के लिए संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है।

1. आवेदक खातेदार का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति मैड जरिये सचिव श्री भीमसहन पुत्र ओमकार जाति गुर्जर निवासी सेवरा तहसील विराटनगर जयपुर
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। नहीं
3. संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा :- अ. ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	मैड/मैड/ विराटनगर
ब. भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल	2329/0.14, 2330/0.18 हैक्टेयर रकबा 0.3200 हैक्टेयर सम्पूर्ण यानि 3200 वर्गमीटर
स. प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्गमीटर)	2329/0.14, 2330/0.18 हैक्टेयर सम्पूर्ण रकबा 0.3200 हैक्टेयर सम्पूर्ण यानि 3200 वर्गमीटर
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ
5. रादेय प्रीमियम की दर	DLC दर का 10% (22.42/- रुपये प्रति वर्गमीटर)
6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	GRN :- 0056805905 Date :- 23-12-2021 Rs- 10000/- GRN :- 0062960705 Date :- 03-06-2022 Rs- 61750/-
7. चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा करायी गई रकम नहीं
8. चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा करायी गई रकम नहीं
9. क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम-13 के अधीन जारी किया गया है। नहीं
10. अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हों।



हरी मजारीक
तहसील विराटनगर (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

- उपर्युक्त प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग, विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
- उक्त संपरिवर्तन आदेश का ट्रेस नक्शा अभिन्न अंग रहेगा।
- यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के अन्दर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत करती जावेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रीमियम धन राशि समग्रहण हो जायेगी।
- राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/अन्य सड़क मार्ग जहां से संपरिवर्तित भूमि पर पहुंच है उसके पास इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के माध्य से छोड़ी गई भूमि निर्धारित सीमा तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।
- राष्ट्रीय राजमार्ग से रास्ता चाहने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सधारित सड़कों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
- आवेदित संपरिवर्तित भूमि पर यदि बिजली की एच.टी./एल.टी लाईन गुजर रही हो, तो विद्युत विभाग के नोर्स अनुसार निर्माण कार्य किया जावे।
- आवेदित भूमि में से यदि पेट्रो उत्पाद पाईप लाईन गुजर रही हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.05.08 अनुसार पाईप लाईन के मार्गाधिकार की सीमा से 10 मीटर की पॉस्टों में तथा डिग्री स्थित हो तो डिग्री सीमा से 50 मीटर की पॉस्टों में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।

विहित प्राधिकारी की मोहर



Handwritten signature
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

संख्या : राजख/2022/1211-1212

दिनांक : 14.06.2022

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एव पालनार्थ

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, (राजख) जयपुर।
2. तहसीलदार विराटनगर को पालना सुनिश्चित करने हेतु।
3. उप पजीयक, उप पजीयन कार्यालय विराटनगर।
4. पटवारी हल्वा मंड को आदेश के पालनार्थ।
5. सरपंच, ग्राम पंचायत मंड।
6. नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति मंड जयपुर जयपुर जयपुर श्री भीमरतन पुत्र ओमकार जाति गुर्जर निवासी सेक्टर तहसील विराटनगर जयपुर।
7. कार्यालय प्रति।

Handwritten signature
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

उप प्राधिकारी - 06 नं 07 त 2022
 जयपुर नं 977
 पृष्ठ नं 101 नं 2022 0342 11017 65
 न पंजीयक के मा. धन. मुद्रक नं 524
 पृष्ठ नं 172 नं 189
 एक किंग मा 2.

उप प्राधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

कार्यालय विहित अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी विराटनगर)

संख्या : राजस्व/2018/

दिनांक 14.02.2018

संपरिवर्तन आदेश

नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति नवरंगपुरा जरिए सचिव भीमसहन नुर्जर तहसील विराटनगर जिला जयपुर के आवेदन पत्र पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 5 (Vii) के अधीन संस्थागत प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं।

1. आवेदक खातेदार का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति नवरंगपुरा जरिए सचिव भीमसहन नुर्जर तहसील विराटनगर जिला जयपुर
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।	_____ नहीं.
3. संपरिवर्तित भूमि का ब्यौर :- अ. ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम ब. भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल	मैड ग्राम पंचायत मैड तहसील विराटनगर 2324/0.12, 2325/0.13 हैक्टेयर कुल 2500 वर्गमीटर
स. प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्गमीटर)	2324/0.12, 2325/0.13 हैक्टेयर कुल 2500 वर्गमीटर
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थागत प्रयोजनार्थ
5. संदेय प्रीमियम की दर	डी.एल.सी. दर का 5% (10.87 रु. प्रति वर्गमीटर)
6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	GRN :- 0014331683 Date : 16.12.2016 Rs. - 25000/- (84/16.12.2016) GRN :- 19905574 Date : 30.11.2017 Rs. - 83730/- (352/30.11.2017) प्रीमियम राशि 27182/-
7. चालान की संख्या तथा तारीख सहित शारित यदि कोई हो, की जमा करायी गई रकम	नियमन शारित राशि 81546/-रु. कुल राशि 108728/-रु.
8. चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा करायी गई रकम	_____ नहीं _____
9. क्या आदेश नियमितकरण के लिए नियम-13 के अधीन जारी किया गया है।	_____ नहीं _____
10. अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो।	_____ नहीं _____

14/2/18
[Signature]
[Stamp]

उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

- उपयुक्त प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग, विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
- यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के अन्दर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत करली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रीमियम धन राशि सम्पूहृत हो जावेगी।
- नियम-4 में पर्यावरणित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
- राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/अन्य सड़क मार्ग जहां से संपरिवर्तित भूमि पर पहुंच है उसके पास इंडियन रोड कांटेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के कन्य से छोड़ी गई भूमि निर्धारित सीमा तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।
- राष्ट्रीय राजमार्ग से रास्ता चाहने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संभारित सड़कों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
- राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक : प-6 (6) राज-6/92 पार्ट/21 दिनांक 27.06.2009 की पालना सुनिश्चित की जाये।
- आवेदित स्थल के निकटतम नगरपालिका/स्थानीय निकाय की उप विधियों एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सक्षम कमेटी के द्वारा प्लान अनुमोदित करवाया जाकर ही निर्माण करवाया जा सकेगा।
- आवेदित भूमि में से यदि पेट्रो उत्पाद पाईप लाईन गुजर रही हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.05.08 अनुसार पाईप लाईन के मार्गाधिकार की सीमा से 10 मीटर की परिधी में तथा डिपो स्थित हो तो डिपो सीमा से 50 मीटर की परिधी में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।
- राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों) में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन नियम 2007 एवं इस संबंध में जारी अन्य परिपत्र/निर्देशों की सभी शर्तें लागू होगी।
- संपरिवर्तन भूमि पर स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 05 (310) एसई/स्थानि/जीसारी/2005/12250 दिनांक 11.02.2005 में अंकित शर्तें लागू होगी।



संख्या : राजस्व/2018/1954-1958

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, (राजस्व) जयपुर।
2. तहसीलदार विराटनगर को पालना सुनिश्चित करने हेतु।
3. उप पंजीयक, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
4. पटवारी हल्का नवरंगपुरा को आदेश के पालनार्थ।
5. सरपंच, ग्राम पंचायत नवरंगपुरा
6. आवेदक नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति नवरंगपुरा जरिए सचिव भीमसहन मुर्जर तहसील विराटनगर जिला जयपुर
7. कार्यालय प्रति।

विहित प्राधिकारी
उपसंचालक अधिकारी विराटनगर
विराटनगर (जयपुर)

दिनांक : 14/2/18

विहित प्राधिकारी
उपसंचालक अधिकारी विराटनगर
विराटनगर (जयपुर)

परिशिष्ट -13
भूमि- भवन प्रमाण पत्र प्रारूप

क्रमांक / दि. मं. / 2021 / 419

दिनांक 21/12/20

ग्राम/ तहसील / नगरपालिका / नगरनिगम / विकास प्राधिकरण

विकास प्राधिकरण
सेवाएं जयपुर (रा.प.)

आयुक्त
कोष/ शिक्षा राजस्थान
जयपुर

विषय: भूमि-भवन प्रमाण पत्र

(समिति का नाम) द्वारा निवेदन करने पर मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से भूमि दस्तावेजों व भवन की जांच की गई।
सिद्धांत विवरण निम्नानुसार है :-

1. भूमि का पता: जयपुर - 302001, नं. 100 वि. 012

2. अवस्थिति

	जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर (विकास प्राधिकरण) क्षेत्र	अन्य संघीय मुख्यालय (संघीय मुख्यालय की स्थानीय निकाय सीमा)	जिला मुख्यालय (जिला मुख्यालय की स्थानीय निकाय सीमा)	राष्ट्रीय निकाय (स्थानीय शहरी निकाय की सीमा तक)	अन्य प्रस्ता क्षेत्र जमावा
खसरा नंबर	-	-	-	-	2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339
भूमि का वर्ग कोटर माप	-	-	-	-	8300 वर्ग मीटर
भूमि पत्र प्रकार	-	-	-	-	0.5160 अर्बि 519
प्रकार शैक्षणिक / सरकारी / आवासीय / वाणिज्यिक / कृषि भूमि	-	-	-	-	0.32 हेक्टेयर 30

जमावदी अनुसार समिति के तान रिकॉर्ड में दर्ज रक्त खसरा संख्या / संख्याओं की भूमि गैर-भवन एतदनु/ लायायत है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त भूमि वर्तमान में

जायदाद पंक्तिव है/रुल शिवा समिति में (समिति का नाम) समिति के तान दर्ज है।

(निम्न में से जो लागू न हो उसे काट दें)

1. उक्त भूमि पर संस्था का स्वयं का प्रस्तावित/संचालित महाविद्यालय का भवन स्थित है।

अथवा

2. उपर्युक्त भूमि व संस्था द्वारा प्रस्तावित महाविद्यालय का किराए का भवन एक ही तहसील सीमा में स्थित है।

(Signature)

विकास प्राधिकरण (भूमि सेवा)

15/11/10
 927

प्रारूप "ब"

देखिये नियम 9(3)(4) और (6)

कार्यालय जिला कलक्टर, जयपुर

क्रमांक आर 18वीं (12) 07/संस्था/ 9688

दिनांक 16-11-10

संपरिवर्तन आदेश

नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति, नवरंगपुरा, विराटनगर, जयपुर, जरिये सचिव श्रीमत्सहन गुर्जर तहसील विराटनगर जिला जयपुर के आवेदन पत्र उनकी आतेदारी अभिवृत्ति में धारित कृषि भूमि का राजस्व/भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 8 के अधीन अकृषि प्रयोजनों के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं।

1. आवेदक आतेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता।	नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति, नवरंगपुरा, विराटनगर, जयपुर जरिये सचिव श्रीमत्सहन गुर्जर तहसील विराटनगर जिला जयपुर
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।	-
3. संपरिवर्तित भूमि का धीरा (अ) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम (ब) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (स) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपवर्धित करत हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टे. या वर्गमी. में)	ग्राम एवं ग्राम पंचायत विराटनगर ख.नं. 2322 रकबा 0.12 हे०, ख.नं. 2323 रकबा 0.12 हे०, ख.नं. 5338/2322 रकबा 0.02 हे०, कुल रकबा 0.26 हे० ख.नं. 2322 रकबा 0.12 हे०, ख.नं. 2323 रकबा 0.12 हे०, ख.नं. 5338/2325 रकबा 0.02 हे०, कुल रकबा 0.26 हे० अर्थात 2600 वर्गमी० भूमि का रूपान्तरण किया गया।
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थागत प्रयोजनार्थ
5. संदेय प्रीमियम की दर	10.38/- प्रति वर्गमीटर
6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम।	183 दिनांक 05.10.10 राशि 28,088/- राजकोष में जमा कराई गई।
7. चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम।	चालान संख्या 128 दिनांक 05.10.10 द्वारा निर्धारित 800 वर्गमी० में निर्माण होने से चार गुना शास्ति के रूप में 33,210/- रुपये राजकोष में जमा कराई गई।
8. चालान की संख्या तथा तारीख सहित चाल यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम।	नहीं
9. क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।	नहीं
10. अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो।	इंडियन रोड कांयंस के मापदण्डानुसार सड़क/रास्ते की सीमा छोड़ कर निर्माण कराया जावेगा।

